

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :- 23/2021

सरकार

बनाम

जितेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्रान श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

.....गैर सायलान

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 02-07-2021

:- निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायलान की ओर से आज कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का गाडराटा के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम गाडराटा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़-2 एवं बाराणी 3 के रकबा 0.10 है। पर गैर सायलान जितेन्द्र सिंह, गजेन्द्र पुत्रान श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने पक्की दिवार बनाकर निर्माण कार्य कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का गाडराटा के गैर सायलान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायलान की ओर से गैर सायल अधिवक्ता श्री गिरधारी सैनी ने उपस्थित होकर नोटीस जवाब एवं सबूत पेश करने हेतु समय चाहा जाने पर दिया गया। इसके उपरान्त दिनांक 25-06-2021 को गैर सायल अधिवक्ता श्री गिरधारी सैनी ने हाजिर होकर जाहिर किया की वह गैर सायलान की ओर से हिदायत पैरवी नहीं करना चाहते हैं। इसके उपरान्त गैर सायलान को बार-बार आवाज दिलायी जाने के बावजूद गैर सायलान की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायलान जितेन्द्र सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्रान श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने राजस्व ग्राम पपुरना स्थित राजकीय भूमि

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुंझुनूं (राज.)

खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़-2 एवं बारानी 3 के रकबा 0.10 है० पर पक्की दिवार बनाकर एवं निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायलान को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का गाडराटा की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: आदेश :-

अतः प्रकरण में गैर सायलान की अनुपस्थिति में गैर सायलान के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का गाडराटा के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायलान को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम गाडराटा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़-2 एवं बारानी 3 के रकबा 0.10 है० पर से बेदखल किया जाता है तथा गैर सायलान से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का गाडराटा से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायलान की राजस्व ग्राम गाडराटा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.38 हेक्टेयर किस्म बजड़-2 एवं बारानी 3 के रकबा 0.10 है० भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02-07-2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

~~तहसीलदार खेतड़ी
(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी~~